न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 392 सन 2022
अनवान :–

1. गंगासिह पुत्र पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पिरूदान पुत्र स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पूनमचन्द पुत्र पिरूलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
3. मनफुल पुत्र पीरदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
4. चन्द्रसिह पुत्र पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
5. प्रेमकुमार पुत्र पिरूलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. भतेरी पत्नी रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
7. आनन्द पुत्र रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
8. माया पुत्री रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. कृष्णा पुत्री पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
10. प्रार्वती पुत्री पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रामलाल पुत्र लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. भगवानाराम पुत्र लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. भगवन्ती पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्वी जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. बिदामी पुत्री लिछमादेवी पुत्री जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
15. रानीदेवी पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. सुशीलादेवी पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 44/40 की कुल 3.5420हैक् एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 210/210 की कुल 7.6150हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम वल्द रामरख के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम वल्द रामरख के नाम दर्ज हे जिसका देहान्त हो चुका है जिसके वारिस एक लडका पीरूदान एव लडकी लिछमा जो फोत हो चकी है पीरूदान का एक लडका रतनलाल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार जोधाराम पुत्र रामरख के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो जोधाराम वल्द रामरख के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7, 8 मृतक रतनलाल के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी माता प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में एव प्रतिवादी संख्या 9, 10 जो पिरूदान की पुत्रीया व वादी की बहने है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 पिरूदान की बहने एव वादी की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 इसलिये वाद भूमि वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है" जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की जोधाराम पुत्र रामरख जो वादी के पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज जोधराम पुत्र रामरख के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान पुत्र पीरूराम एवं पुत्री लिछमा हे लिछमा एव पीरूराम के पुत्र रतनलाल का देहान्त हो चुका है इसलिये जोधाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जोधाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 16 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की बहने /बुआ/माता है के पक्ष में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 44/40 की कुल 3.5420हैक एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 210/210 की कुल 7.6150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम वल्द रामरख के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम वल्द रामरख के नाम दर्ज हे जिसका देहान्त हो चुका है जिसके वारिस एक लडका पीरूदान एव लडकी लिछमा जो फोत हो चकी है पीरूदान का एक लडका रतनलाल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार जोधाराम पुत्र रामरख के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो जोधाराम वल्द रामरख के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7, 8 मृतक रतनलाल के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी माता प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में एव प्रतिवादी संख्या 9, 10 जो पिरूदान की पुत्रीया व वादी की बहने है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 पिरूदान की बहने एव वादी की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है" जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 44/40 की कुल 3.5420हैक्ट एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 210/210 की कुल 7.6150हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम वल्द रामरख के नाम से दर्ज है। खाता संख्या 210/210 की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है इसलिये इस खाते की भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का धोषणा नही की जा सकती है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज जोधाराम पुत्र रामरख के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जोधाराम के वारिसान एक पुत्र पिरूराम एवं पुत्री लिछमा है पिरूराम के पुत्र रतनलाल एव लिछमा का देहान्त होने के बाद जोधाराम पुत्र रामरख के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो जोधाराम पुत्र रामरख के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 44/40 की कुल 3.5420हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 5/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गंगासिह पुत्र पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 पिरूदान पुत्र स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पूनमचन्द पुत्र पिरूलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
3. मनफुल पुत्र पीरदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
4. चन्द्रसिह पुत्र पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
5. प्रेमकुमार पुत्र पिरूलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. भतेरी पत्नी रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
7. आनन्द पुत्र रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
8. माया पुत्री रतनलाल जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. कृष्णा पुत्री पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
10. प्रार्वती पुत्री पिरूदान जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रामलाल पुत्र लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. भगवानाराम पुत्र लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. भगवन्ती पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्वी जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. बिदामी पुत्री लिछमादेवी पुत्री जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. रानीदेवी पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. सुशीलादेवी पुत्री लिछमादेवी पुत्री स्व जोधाराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 392 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 44/40 की कुल 3.5420हैक्‌ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोधाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 5/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner